16.5-17	पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] आदेश के हाट -2-17 [illegible] आलोक [illegible] 16.5-17 को पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया गया। पत्रावली फैसला [illegible] होकर [illegible] के [illegible] हो। [signature]	[illegible] [illegible] II K वि पुन: [illegible] [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा,
केम्प कोर्ट – मालोला
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 221/2011

1. श्री गुलाब पिता केला गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2. श्रीमती छाऊ पत्नि गुलाब गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

–वादीगण

बनाम

1. श्री भैरू पिता हेमा गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2. श्री जगदीश पिता भैरू गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
3. श्री मोहन पिता भैरू गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक 16.05.2017

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मालोला, पटवार हल्का–मालोला, तहसील एवं जिला–भीलवाड़ा की सरहद में वादीगण के स्वामित्व व कब्जेयाबी की आराजी संख्या 1071 रकबा 04–02 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 04–09 बीघा स्थित है। उक्त आराजियात के साथ–साथ वादीगण की दिगर आराजियात भी स्थित है। वादीगण ने आराजी संख्या 1071 व 1072 क्रय की तब से प्रतिवादीगण, वादीगण से रंजिश रखे हुये है तथा आये दिन वादीगण की आराजियात की सीमा में दखलंदाजी करते रहते है। वादीगण ने दिनांक 12.04.2010 को पत्थरगढ़ी का प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा में पेश किया, जिसके सम्मन नोटिस प्रतिवादी भैरू को मिले तो प्रतिवादगण आग–बबूला हो गये। वादीगण की आराजी संख्या 1071 व 1072 की पश्चिमी मैड़ की तरफ आराजी संख्या 1071 पर लगभग 00–08 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07 बीघा के पूरे रकबे पर डोल लगा दी। वादीगण के मना करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि जब पत्थगढ़ी हो जायेगी और तुम्हारी जमीन निकलेगी तो तुम्हें लौटा देगें। दिनांक 02.06.2011 को मौके पर पत्थरगढ़ी की गई तथा मौका पर्चा बनाया गया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा आराजी संख्या 1071 रकबा 00–08 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07 बीघा पर नाजायज कब्जा किया होना पाया गया।

प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 01 भैरू ने आराजी संख्या 1073 व 1076 जो कि वादीगण की आराजियात से मिली हुई है को दिनांक 22.04.1982 को तत्कालीन खातेदार प्रेमकंवर बेवा रघुवीर सिंह राजपूत निवासी –जवाहरनगर, भीलवाड़ा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। इस आराजी के चारों ओर खातेदार प्रेम कंवर ने 4 फीट उच्ची मिटठी की बाड़ लगा रखी थी इस बाड़ पर बड़े–बड़े वृक्ष खड़े है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जिस स्थिति में प्रेमकंवर से आराजियात का कब्जा प्राप्त किया उसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 आज भी काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजियात पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं किया है। जिसे 30 वर्ष हो गये इसिलिए दावा चलने योग्य नहीं है।

दिनांक 03.05.2012 को निम्न तनकियात कायम की:–

1. आया मौजा मालोला, पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद में वादीगण की स्वामित्व व कब्जेयाबी की आराजी संख्या 1071 रकबा 04–02 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07बीघा स्थित है। आराजी संख्या 1071 की पश्चिमी मेड़ पर करीब 08 बिस्वा व आराजी संख्या 1072 पर पूरी पर जुलाई 2010

में प्रतिवादीगण ने लटठ् के बल पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसे पुनः वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है? ---बजिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजी संख्या 1071 की पश्चिमी मेड पर व आराजी सं. 1072 पर कभी कोई कब्जा नहीं किया है? ---बजिम्मे प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

वादी गुलाब व प्रतिवादी भेरू व जगदीश उपस्थित। बहस अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को साबित कराने के लिए वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 की पेश कर साबित कराया कि आराजी सं. 1071 व 1072 के खातेदार काश्तकार वादीगण है। जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व मौका पर्चा पत्थरगढ़ी दिनांक 02.06.2011 पेश कर प्रदर्श कराया गया। मौखिक साक्ष्य में पी.डबल्यू। गुलाब गुर्जर, पी. डबल्यू 2 शंकर गुर्जर, पी.डबल्यू 3 संग्राम सिंह व पी.डबल्यू 4 विक्रमसिंह के बयान कलमबद्ध करवाये तथा साक्ष्य वादीगण बंद की गयी। साक्ष्य हेतु प्रतिवादीगण को अनेक अवसर देने के बावजूद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में आराजी सं. 1071 व 1072 के खातेदार काश्तकार वादीगण है। मौका पर्चा पत्थरगढ़ी में अंकित है कि आराजी नं. 1072 रकबा 00–07 एवं आराजी नं. 1071 में से रकबा 00.08 जो 1072 के लगते हुये उसकी भाग है। इस प्रकार कुल रकबा 00–15 भूमि वादीगण की पर भैरू पिता हेमा गुर्जर ने अपने खते की आराजी नं. 1076 में से मिलाते हुये डोल डालकर थौर बाड़ लगाकर कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार जमाबंदी में वादीगण खातेदार काश्तकार होना व मौका पर्चा अनुसार वादीगण की जमीन पर उक्तानुसार प्रतिवादीगण का कब्जा किया जाना पाया गया। जिसे वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी नं. 1 बहक वादीगण व विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–02 को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने कोई रेकार्ड व साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण की आराजी संख्या 1071 व 1072 पर प्रतिवादीगण का कब्जा विधिसम्मत् है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा है। अतः तनकी नं. 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट का स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मालोला, पटवार हल्का–मालोला, तहसील एवं जिला–भीलवाड़ा में वादीगण की आराजी संख्या 1071 रकबा 04–02 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 04–09 बीघा स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा पश्चिमी मेड की तरफ आराजी संख्या 1071 में से 00–08 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07 बीघा पर किये गये कब्जे से तहसीलदार भीलवाड़ा प्रतिवादीगण को मौके से बैदखल करें एवं कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

राजस्व केम्प कोर्ट मालोला

पीठासीन अधिकारी – राजलक्ष्मी गहलोत (आरएएस)

उनवान

1– श्री गुलाब पिता केला गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2– श्रीमती छाऊ पत्नि गुलाब गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

–वादीगण

बनाम

1– श्री भैरू पिता हेमा गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2– श्री जगदीश पिता भैरू गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
3– श्री मोहन पिता भैरू गुर्जर, निवासी–जोधड़ास, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
4– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबतः– **वादपत्र अन्तर्गत धारा 183**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 221/2011

निर्णय दिनांक 16–5–2017

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मालोला, पटवार हल्का–मालोला, तहसील एवं जिला–भीलवाड़ा में वादीगण की आराजी संख्या 1071 रकबा 04–02 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 04–09 बीघा स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा पश्चिमी मेड की तरफ आराजी संख्या 1071 में से 00–08 बीघा व आराजी संख्या 1072 रकबा 00–07 बीघा पर किये गये कब्जे से तहसीलदार भीलवाड़ा प्रतिवादीगण को मौके से बैदखल करें एवं कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 16–5–2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा